

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम  
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र  
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 258 विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक **w0518322**

विषय :- परिवादी के कनेक्शन क्रमांक एन.3302003688 पर कथित पी.टी. मिसिंग अवधि 14.03.2021 से 09.11.2022 तक की बिलिंग को सरचार्ज सहित समाप्त करने बाबत।

मेसर्स भारती सेल्युलर लिमिटेड,  
(पूर्ववर्ती इंडस टॉवर्स)

-----परिवादी

बड़नगर

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग, मप्रपक्षेविविकलि. बड़नगर

-----उत्तरदाता

आदेश

(आज दिनांक 27.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से अभिभाषक श्री आशिष जैन उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकलिमि. की ओर से श्री अर्पित जैन, सहायक यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि उनका गैर-घरेलू सर्विस कनेक्शन क्रमांक एन.3302003688, स्वीकृत भार 14 किलोवॉट है। परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता होकर प्रत्येक माह समय से बिल अदा करता है। परिवादी को विपक्षी का एक पत्र अनुसार कथित पी.टी. मिसिंग अवधि 14.03.2021 से 09.11.2022 तक की पी.टी. मिसिंग यूनिट 6658 की राशि रु. 66605/- का प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा विपक्षी को निवेदन किया गया था कि जो कथित पी.टी. मिसिंग का बिल दिया गया है, जबकि परिवादी के परिसर में कोई पोटेंशियल मिसिंग (पी.टी. मिसिंग) नहीं हुई है। परिवादी को एम.आर.आई. की प्रति विपक्षी द्वारा केवल दिखाई गई थी, जिसके आधार पर परिवादी ने विपक्षी को निवेदन किया हुआ है एवं स्वयं परिवादी भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उनके परिसर में कोई पी.टी. मिसिंग नहीं हुई है। विपक्षी के अनुसार यदि पी.टी. मिसिंग कोई होती भी है तो इसका सीधा अर्थ है कि मीटर ने सही खपत दर्ज नहीं की है, अर्थात् विपक्षी के अनुसार मीटर ने दोषपूर्ण खपत दर्ज की है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सप्लाय कोड 2013 (संशोधित मध्य प्रदेश सप्लाय कोड 2021 की कण्डिका 8.44) अनुसार दोषपूर्ण खपत के सम्बंध में बिल सुधारने हेतु विद्युत विभाग को दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं। विपक्षी ने जो कथित पी.टी. मिसिंग का बिल दिया है उसे सरचार्ज सहित समाप्त

करने की कृपा करें एवं आवश्यकतानुसार सप्लाय कोड अनुसार विवादित समयावधि की बिलिंग दुरुस्त करवाए जाने हेतु विपक्षी को आदेश देने की कृपा करें।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त लिखित तर्क में लेख किया गया कि अतएव कोई पी.टी. मिसींग नहीं है और यदि किसी स्थिति में मीटर में सही खपत दर्ज नहीं हो पाई हुई होगी, तो मीटर तत्समय मीटर डिफेक्टिव मान्य किया जाकर, म. प्र. सप्लाय कोड 2021 की कंडिका 8.44 अनुसार अथवा म.प्र. सप्लाय कोड 2013 कंडिका 8.35 (चूंकि प्रकरण पुरानी अवधि का है) अनुसार दिया गया कथित मांग राशि का बिल ब्याज सहित समाप्त करने की कृपा करे।

#### विपक्ष का कथन :-

विपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में लेख किया गया कि एस.टी.एम. संभाग उज्जैन की ए.एम.आर. टीम उज्जैन द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिवादी के मीटर क्रमांक 9012440 पर वाय फेज करन्ट विदाउट वोल्टेज दिनांक 14.03.2021 से 09.11.2021 तक मीटर टेम्पर पाया गया। मीटर टेम्पर के विरुद्ध 6658 यूनिट की गणना एस.टी.एम. उज्जैन कार्यालय द्वारा की गई। अतिरिक्त बिलिंग यूनिट गणना टेम्पर डाटा अवधि की जानकारी हेतु कार्यपालन यंत्री (एस.टी.एम.) उज्जैन से प्राप्त हुई है। इस सम्बंध में बडनगर शहर वितरण केन्द्र कार्यालय से दिनांक 17.12.2021 को नोटिस राशि रु. 66580/- जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्ष द्वारा जवाबदावे के साथ टेम्पर डाटा रिपोर्ट, एस.टी.एम. कार्यालय से सम्बंधित निरीक्षण प्रपत्र, एम.आर.आई. रिपोर्ट, नोटिस की प्रति प्रस्तुत की गई।

#### विधिक प्रावधान :-

म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के अध्याय आठ की कण्डिका 8.35 के अनुसार :-  
8.35 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा

(अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (reading) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन-चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार

प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(स) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर अनन्तिम देयक (provisional bill) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्वधीन होगा।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

प्रकरण में पाया गया कि परिवादी का स्वीकृत भार 14 किलोवॉट, गैर घरेलू श्रेणी सर्विस कनेक्शन क्रमांक एन.3302003688, मेसर्स भारती सेल्युलर लिमिटेड ग्राम-बडनगर में विद्यमान है। परिवादी ने फोरम में वाद लगाते हुए कथन किया कि विपक्षी का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिस अनुसार कथित रूप से पी.टी. मिसिंग अवधि 14.03.2021 से 09.11.2022 तक की पी.टी. मिसिंग यूनिट 6658 की राशि रु. 66605/- की बिलिंग की गई। अतः निवेदन है कि म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार बिल रिवाइज किये जाने की कृपा करें।

विपक्ष द्वारा बताया गया कि एस.टी.एम. संभाग उज्जैन की ए.एम.आर. टीम उज्जैन द्वारा निरीक्षण के दौरान परिवादी के मीटर क्रमांक 9012440 पर वाय फेज करन्ट विदाउट वोल्टेज दिनांक 14.03.2021 से 09.11.2021 तक मीटर टेम्पर पाया गया। मीटर टेम्पर के विरुद्ध 6658 यूनिट की गणना एस.टी.एम. उज्जैन कार्यालय द्वारा की गई। इस सम्बंध में बडनगर शहर वितरण केन्द्र कार्यालय से दिनांक 17.12.2021 को नोटिस राशि रु. 66580/- जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि ए.एम.आर. सेल उज्जैन द्वारा परिवादी के परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिवादी के मीटर क्रमांक 9012440 पर वाय फेज करन्ट विदाउट वोल्टेज दिनांक 14.03.2021 से 09.11.2021 तक टेम्पर पाया गया। चूंकि मौके पर मीटर का टर्मिनल स्कू स्लीप (क्षतिग्रस्त) पाया गया। पी.टी. मिसिंग टेम्पर रिस्टोर नहीं हुआ एवं मीटर बदला गया। उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि मीटर में दिनांक 14.03.2021 से 09.11.2021 तक त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज हुई है।

अतः विपक्ष द्वारा परिवादी को जारी 6658 यूनिट की गणना करके राशि रु. 66580/- की अतिरिक्त बिलिंग की गई है, को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में त्रुटिपूर्ण खपत की गणना हेतु इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके स्थान पर मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार दिनांक 14.03.2021 से 09.11.2021 तक त्रुटिपूर्ण दर्ज खपत को हटाते हुए माह दिसम्बर-2020, जनवरी-2021 व फरवरी-2021 की औसत खपत के अनुसार दिनांक 14.03.2021 से 09.11.2021 तक की संशोधित बिलिंग की जाना चाहिए। पी.टी.मिसिंग टेम्पर के कारण की गई 6658 यूनिट राशि रु. 66580/- की अतिरिक्त बिलिंग पर लगाया गया सरचार्ज को भी समाप्त किया जाना चाहिए।

#### फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार :-

(अ) विपक्ष द्वारा परिवादी को जारी 6658 यूनिट की गणना करके राशि रु. 66580/- की अतिरिक्त बिलिंग की गई है, को निरस्त किया जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में त्रुटिपूर्ण खपत की गणना हेतु इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

(ब) इसके स्थान पर मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार दिनांक 14.03.2021 से 09.11.2021 तक त्रुटिपूर्ण दर्ज खपत को हटाते हुए माह दिसम्बर-2020, जनवरी-2021 व फरवरी-2021 की औसत खपत के अनुसार दिनांक 14.03.2021 से 09.11.2021 तक की संशोधित बिलिंग की जावे।

03/ पी.टी.मिसिंग टेम्पर के कारण की गई 6658 यूनिट राशि रु. 66580/- की अतिरिक्त बिलिंग पर लगाया गया सरचार्ज को भी समाप्त किया जावे।

04/ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के अध्याय 3 की कण्डिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विपक्ष फोरम के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर किया जावे।

उपरोक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(एन.एस.मण्डलोई),  
सदस्य

(श्रीमती कमल के.कट्टर),  
सदस्य

(व्ही.के.गोयल),  
अध्यक्ष